## अपराध के आँकड़े - ध्यान रखने योग्य तथ्य !

अपराध प्रायः कई प्रकार के जटिल कारकों का परिणाम होता है। आपराधिक व्यवहार के मूल में कई प्रकार की सामाजिक परिस्थितियाँ और संरचनाएं होती हैं। लोग अक्सर सामाजीकरण की प्रक्रिया के कारण अपराध करते हैं, जिसमें अच्छे-बुरे की सही समझ विकसित नहीं हो पाती है और उस पर नित नए अवसरों के कारण बढ़ती हुई इच्छाएं ही अपराध करने हेतु एक प्रबल प्रेरणा भी बन जाती हैं। अपराध के मूल में कई प्रकार के सामाजिक, आर्थिक, जन सांख्यिकीय, स्थानीय और संस्थागत कारणों की परस्पर क्रिया भी निहित हो सकती है। यह धारणा कि पुलिस की विफलताओं के कारण ही अपराध होता है, आपराधिक व्यवहार के सिद्धांतों की परिपक्व समझ की कमी को दर्शाता है।

साथ ही ये सामाजिक कारण, अन्य अंतर्निहित एवं जुड़े हुए कारणों के साथ-साथ विभिन्न क्षेत्रों, राज्यों और समाजों में काफ़ी तेजी से बदलते भी रहते हैं। बड़े भौगोलिक क्षेत्र में अपनाए जाने वाली प्रक्रियाओं की भिन्नता और विभिन्न संगठनों के काम करने के अंतर्निहित तरीकों के कारण भी कई बार बड़ा अंतर आ जाता है। अतः इन प्रकाशित आँकड़ों के आधार पर विभिन्न राज्यों/ जिलों/ क्षेत्रों/ सामाजिक समूहों आदि के बीच तुलना करना बहुत ही साधारण होगा और इससे बचा जाना चाहिए।

इसके अलावा, यहाँ अपराध की प्रकृति या गंभीरता को अलग से कोई महत्व नहीं दिया गया है। इसलिए किसी भी राज्य या शहर के कुल अपराधों को गिनते समय सभी अपराधों को एक जैसा ही माना गया है। अतः किसी शहर में ज्यादा अपराध पंजीकृत होना इस बात का सूचक नहीं माना जाना चाहिए कि वह शहर किसी ऐसे दूसरे शहर से तुलनात्मक रूप से कम सुरक्षित है जहां अपराध कम पंजीकृत हुए हों।

अंत में, बढ़ती जनसंख्या के साथ जैसे-जैसे अपराध बढ़ता है, प्रति लाख जनसंख्या पर अपराध (अपराध दर) को अपराध में वृद्धि या कमी का आंकलन करने के लिए एक बेहतर संकेतक माना जा सकता है। फिर भी यहाँ यह ध्यान रखना चाहिए कि यह प्राथमिक धारणा भ्रामक है कि पुलिस आँकड़ों में बढ़त अपराध बढ़ने का सूचक है और यह पुलिस की प्रभावहीनता को प्रतिबिंबित करता है । 'अपराध में वृद्धि' और 'पुलिस द्वारा अपराध के पंजीकरण में वृद्धि' यह स्पष्ट रूप से दो अलग-अलग तथ्य हैं जिसे सही ढंग से समझने की आवश्यकता है। अतः कुछ वर्गों द्वारा बारंबार यह अपेक्षा रखना सही नहीं हो सकता कि एक प्रभावी पुलिस प्रशासन अपराध के आँकड़ों को कम रखने में सक्षम होगा | किसी राज्य के पुलिस आँकड़ों में अपराध की संख्या में वृद्धि, वास्तव में उस राज्य की पुलिस द्वारा शुरू की गई कुछ नागरिक हितैषी सेवाओं जैसे कि ई-एफआईआर सुविधा या महिला हेल्पडेस्क आदि के कारण भी हो सकती है। फिर भी स्थानीय समुदायों से संबंधित इन मुद्दों के पेशेवर विश्लेषण की आवश्यकता है ताकि अपराध के आँकड़ों में आई कमी या वृद्धि में शामिल कारणों को सही ढंग से समझकर उनका समाधान निकाला जा सके ।